[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (ii)]

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
(DEPARTMENT OF REVENUE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th July, 2013

S.O. (E).— In exercise of the powers conferred by clause (e) of the proviso to clause (5) of section 43 read with section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:—

1. (1)These rules may be called the Income-tax (9th Amendment) Rules, 2013.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Income-tax Rules, 1962, in Part II, in sub-part C, after rule 6DDB, the following rules shall be inserted, namely :—

"6DDC. ***Conditions that a recognised association is required to fulfil to be notified as a recognised association for the purposes of clause (e) of the proviso to clause (5) of section 43.***— For the purposes of clause (e) of the proviso to clause (5) of section 43, a recognised association shall fulfil the following conditions in respect of trading in derivatives, namely:—

(i) the recognised association shall have the approval of the Forward Markets Commission established under the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952 (74 of 1952) in respect of trading in derivatives and shall function in accordance with the guidelines or conditions laid down by the Forward Markets Commission;
(ii) the recognised association shall ensure that the particulars of the client (including unique client identity number and PAN) are duly recorded and stored in its databases;
(iii) the recognised association shall maintain a complete audit trail of all transactions (in respect of derivative market) for a period of seven years on its system;
(iv) the recognised association shall ensure that transactions (in respect of derivative market) once registered in the system are not erased;
(v) the recognised association shall ensure that the transactions (in respect of derivative market) once registered in the system are modified only in cases of genuine error and maintain data regarding all transactions (in respect of derivative market) registered in the system which have been modified and submit a monthly statement in Form No. 3BC to the Director General of Income-

tax (Intelligence and Criminal Investigation), New Delhi within fifteen days from the last day of each month to which such statement relates.

6DDD. ***Notification of a recognised association for the purposes of clause (e) of the proviso to clause (5) of section 43.***— (1) An application for notification of a recognised association (as per clause (j) of section 2 of the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952) as a recognised association for the purposes of clause (e) of the proviso to clause (5) of section 43 may be made to the Member (Legislation), Central Board of Direct Taxes, North Block, New Delhi.

(2) The application referred to in sub-rule (1) shall be accompanied with the following documents, namely :—

(i) approval granted by Forward Markets Commission for trading in derivatives;

(ii) up-to-date rules, bye-laws and trading regulations of the recognised association;

(iii) confirmation regarding fulfilling the conditions referred to in clause (ii) to clause (v) of rule 6DDC;

(iv) such other information as the recognised association may like to place before the Central Government.

(3) The Central Government may call for such other information from the applicant as it deems necessary for taking a decision on the application.

(4) The Central Government, after examining the information furnished by the recognised association under sub-rule (2) or sub-rule (3), shall notify the recognised association as a recognised association for the purposes of clause (e) of the proviso to clause (5) of section 43 or issue an order rejecting the application before the expiry of four months from the end of the month in which the application is received.

(5) The notification referred to in sub-rule (4) shall be effective until the approval granted by the Forward Markets Commission is withdrawn or expired, or the notification is rescinded by the Central Government.".

3. In the said rules, in Appendix-II, after Form No. 3BB, the following Form shall be inserted, namely:-

"FORM NO. 3BC

[See rule 6DDC]

Monthly statement to be furnished by a recognised association in respect of transactions in which client codes have been modified after registering in the system for the month of ____________

1. Name and address of the recognised association: ....

2. Permanent Account Number: ....

3. Details of transactions, in which client codes have been modified after registering in system, are enclosed in a soft copy as annexure.

Verification

I .... hereby certify that all the particulars furnished above are correct and complete.

Place .... *Signature of the Principal Officer of the recognised association* ....

Date .... *Name and Designation* ....

ANNEXURE TO FORM NO. 3BC

(Soft Copy)

Derivative Market

Sl. No	Transaction ID	Member details		Original Client Code	Modified Client Code	Name of the original client	PAN of the original client	Name of the modified client	PAN of the modified client	Commodity derivative name	Quantity	Rate	Total value of transaction	Buy or Sale	Date of Transaction	Total value of commodity derivative in col. 11 bought/ sold on the exchange during the day*	Total number of buy/ sale transactions in commodity derivative in col. 11 occurred on the exchange during the day*
		Name	Code														
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1.																	
2.																	
3.																	
4.																	
5.																	

*Note- The value or number of transaction will be in respect of buy if col. (15) is buy and sale if col. (15) is sale.".

[Notification No. 51 /2013, F. No. 142/14/2013-TPL]

(Gaurav Kanaujia)
Director to the Government of India

Note.- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii) vide notification number S.O.969(E), dated the 26th March, 1962 and last amended by Income-tax (8th Amendment) Rules, 2013 vide notification S.O. No.1856E) dated 26 जून , 2013.

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, तारीख 4 जुलाई, 2013

अधिसूचना

का.आ. (अ).- केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 43 के खंड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (9वां संशोधन) नियम, 2013 है ।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. आय-कर नियम, 1962 के भाग 2 के उपभाग (ग) में, नियम 6घघख के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

"घघग - **शर्तें जो कि किसी मान्यता प्राप्त संगम को धारा 43 की उपधारा (5) के परंतुक के खंड (ङ) के प्रयोजन के लिए किसी मान्यता प्राप्त संगम के रूप में अधिसूचित करने के लिए पूर्ण करना अपेक्षित हैं** - किसी मान्यता प्राप्त संगम को धारा 43 के खंड (5) के परंतुक (ङ) के प्रयोजनों के लिए व्युतपन्नों में व्यापार करने के संबंध में निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा, अर्थात्:-

(i) मान्यता प्राप्त संगम व्युत्पन्नों में व्यापार के संबंध में अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 (1952 का 74) का अधीन स्थापित अग्रिम बाजार आयोग के अनुमोदन रखेगा और अग्रिम बाजार आयोग द्वारा अभिकथित मार्ग निर्देशों और शर्तों के अनुसरण में कृत्य करेगा ;

(ii) मान्यता प्राप्त संगम यह सुनिश्चित करेंगे कि ग्राहक की विशिष्टियां (जिसके अंतर्गत विशिष्ट ग्राहक पहचान संख्या और पैन भी है) सम्यक् रूप से अभिलिखित हों और उसके डाटा बेस में रखे जाएंगे ;

(iii) मान्यता प्राप्त संगम सभी संव्यवहारों का (व्युत्पन्न बाजार के संबंध में) अपने सिस्टम में सात वर्ष की अवधि के लिए पूर्ण संपरीक्षा चिन्ह रखेंगे ;

(iv) मान्यता प्राप्त संगम यह सुनिश्चित करेंगे कि संव्यवहार (व्युत्पन्न बाजार के संबंध में) सिस्टम में एक बार रजिस्ट्रीकृत हो जाने पर मिटाया न जाएं ;

(v) मान्यता प्राप्त संगम यह सुनिश्चित करेगा कि संव्यवहार (व्युत्पन्न बाजार के संबंध में) सिस्टम में एक बार रजिस्ट्रीकृत हो जाने पर केवल वास्तविक त्रुटि के मामलों में केवल उपांतरित होंगे और सिस्टम में रजिस्ट्रीकृत सभी संव्यवहारों (व्युत्पन्न बाजार के संबंध में) के संबंध में रखे गए आंकड़ें जिन्हें उपांतरित किया गया है, रखेगा और महानिदेशक, आय-कर (सूचना और दांडिक अन्वेषण) नई दिल्ली को प्ररूप सं. 3खग में मासिक विवरणी प्रत्येक मास जिससे ऐसी विवरणी संबंधित है, की अंतिम तारीख से पंद्रह दिन के भीतर देगा ।

6घघघ- धारा 43 के खंड (5) के परंतुक के खंड (ङ) के प्रयोजन के लिए किसी मान्यता प्राप्त संगम की अधिसूचना- (1) धारा 43 के खंड (5) के परंतुक के खंड (ङ) के प्रयोजन के लिए किसी मान्यता प्राप्त संगम के रूप में, किसी मान्यता प्राप्त संगम (अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 की धारा 2 के खंड (ञ) के अनुसार) अधिसूचना के लिए कोई आवेदन सदस्य (विधान) केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली को किया जा सकेगा ।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज होंगे, अर्थात्:-

(i) व्युत्पन्नों में व्यापार के लिए अग्रिम बाजार आयोग द्वारा प्रदत्त अनुमोदन ;

(ii) मान्यता प्राप्त संगम के अद्यतन नियम, उपविधि और व्यापार विनियम ;

(iii) नियम 6घघग के खंड (ii) से खंड (v) में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने के संबंध में पुष्टि ;

(iv) ऐसी अन्य जानकारी जिसे कोई मान्यता प्राप्त संगम केन्द्रीय सरकार के समक्ष रखना चाहे ।

(3) केन्द्रीय सरकार आवेदक से ऐसी अन्य जानकारी मांग सकेगी जो वह आवेदन पर किसी विनिश्चय को करने के लिए आवश्यक समझे ।

(4) केन्द्रीय सरकार उपनियम (2) या उपनियम (3) के अधीन मान्यताप्राप्त संगम द्वारा दी गई जानकारी का परीक्षण करने के पश्चात् धारा 43 के खंड (5) के परंतुक के खंड (ङ) के प्रयोजनों के लिए किसी मान्यता प्राप्त संगम को किसी मान्यता प्राप्त संगम के रूप में अधिसूचित करेगी या उसे मास के अंत से जिसको वह आवेदन प्राप्त होता है चार मास की अवधि समाप्त होने से पहले आवेदन को नामंजूर करने के आदेश जारी करेगी ।

(5) उपनियम (4) में निर्दिष्ट अधिसूचना तब तक प्रभावी होगी जब तक कि अग्रिम बाजार आयोग द्वारा दिया गया अनुमोदन प्रतिसंहृत या समाप्त नहीं हो जाता या केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना को विखंडित नहीं कर दिया जाता है ।"।

3. उक्त नियम के उपाबंध 2 में प्ररूप 3 खख के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"प्ररूप सं0 3खग

(नियम 6घघग देखें)

..............मास के लिए सिस्टम में रजिस्ट्रीकरण के पश्चात् उपांतरित जिसे किसी ग्राहक कोड में संव्यवहार के संबंध में मान्यता प्राप्त संगम द्वारा प्रस्तुत मासिक विवरणी ।

1. मान्यता प्राप्त संगम का नाम और पता : ....
2. स्थाई लेखा संख्या : ....
3. संव्यवहार के ब्यौरे, जिसमें तंत्र में रजिस्ट्रीकरण के पश्चात् उपांतरित ग्राहक कोड, साफ्ट प्रति में उपाबंध के रुप संलग्न है ।

सत्यापन

मैं....................................सत्यापित करता/करती हूं, कि उपरोक्त में दी गई सभी विशिष्टियां सही और संपूर्ण है ।

स्थान.................
तारीख...............

मान्यताप्राप्त संगम के प्रधान अधिकारी के हस्ताक्षर..
नाम और पदनाम...

प्ररूप सं0 3खग का उपाबंध

(साफ्ट प्रति)

व्युत्पन्न बाजार

क्रं0 सं0	संव्यवहार आईडी	संव्यवहार के ब्यौरे		मूल ग्राहक कोड	उपांतरित ग्राहक कोड	मूल ग्राहक का नाम	मूल ग्राहक का पैन	उपांतरित ग्राहक का नाम	उपांतरित ग्राहक का पैन	वाणिज्य व्युत्पन्न नाम	परिमाण	दर	संव्यवहार का कुल मूल्य	क्रय या विक्रय	संव्यवहार की तारीख	दिन में विनिमय पर कालम 11 में क्रय/विक्रय हुए वाणिज्य व्युत्पन्न का कुल मूल्य	दिन में विनिमय पर कालम 11 में क्रय/विक्रय हुए वाणिज्य व्युत्पन्न संव्यवहार की कुल सख्यां
		नाम	कोड														
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1.																	
2.																	
3.																	
4.																	
5.																	

टिप्पण : संव्यवहार का मूल्य और संख्या कालम 15 में यदि क्रय है तो क्रय की होगी और यदि कालम 15 में विक्रय है तो विक्रय की होगी ।"।

(अधिसूचना सं0. 51 /2013, फा0सं0142/14/2013-टीपीएल)

गौरव कनौजिया

(गौरव कनौजिया)
निदेशक, भारत सरकार

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में, अधिसूचना संख्यांक का.आ.969(अ) तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार आय-कर (8वां संशोधन) नियम, 2013 का.आ 1856 (अ) तारीख 26 जून 2013 द्वारा संशोधित किए गए ।